कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
आम्रपाली योजना,हरदोई रोड,लखनऊ

पत्रांक   स0प्र0/ आम्रपाली लखनऊ   दिनांक

सेवा मे,

श्री/श्रीमती/कु0...............................
पुत्र/पत्नी/पति श्री ....
पता..

<u>प्रदेशन पत्र</u>

महोदय,

आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित आम्रपाली योजना लखनऊ मे भवन.............................. प्रकार .... म पंजीकृत **चालान सं0** .... के विरूद्व **दिनांक** .... को आयोजित लाटरी ड्रा मे **भवन सं0** .... का आवंटन आपके पक्ष मे किया गया है। उक्त भवन का प्रदेशन पत्र परिषद द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन निर्गत किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नवत् है।

(क) सम्पत्ति के कुल मूल्य का विवरणः–

1. भवन निर्माण लागत	रू0	....
2. भूखण्ड का मूल्य**(क्षेत्रफल .... व0मी0)**	रू0	....
3. 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क	रू0	....
कुल मूल्य	**रू0**	....

(ख) जमा धनराशि का विवरणः–

1. पंजीकरण हेतु जमा धनराशि	रू0	....
2. अ–पूर्व पंजीकरण धनराशि पर अर्जित ब्याज	रू0	....
किश्तो के रूप मे जमा धनराशि	रू0	....
कुल जमा धनराशि	**रू0**	....
3. दण्ड ब्याज के विरूद्व समायोजित की गयी धनराशि	रू0	....
..		
4. दण्ड ब्याज समायोजित करने के उपरान्त किश्तो के विरूद्व जमा शुद्व धनराशि	रू0	....

शुद्व देय धनराशि .... जो दि0 .... तक पंजाब नेशनल बैंक, ठाकुरगंज शाखा लखनऊ मे परिषद के **खाता संख्या– 1153002100009804** मे जमा किया जाना है।

(ग) विविध शुल्कः– विज्ञापन शुल्क रू0 2.50 प्रतिशत तथा विक्रय विलेख हेतु शुल्क रू0 300/–फ्री होल्ड पुस्तिका शुल्क 50/– साइड प्लान हेतु रू0 100/–तथा जल संयोजन शुल्क रू0 .... अग्रिम जलशुल्क(तीन माह का) रू0 ..../– कुल रू0 .... पी0एन0बी0 ठाकुरगंज लखनऊ मे परिषद के **खाता संख्या–1153002100009798** मे **दि0** .... तक जमा करने का कष्ट करे।

(ध) सेवाकर/जी0एसटी– .... प्रतिशत की दर से **रू0** ..../–पंजाब नेशनल बैंक, ठाकुरगंज शाखा लखनऊ के परिषद के **खाता संख्या–1153002110012592**(पीली पर्ची में) अलग से जमा करना होगा।

नोटः–शेष नियम एवं शर्ते पूर्ववत् लागू रहेंगी।

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

आवश्यक निर्देशः–

1. किसी भी दशा मे सूचित तिथि के बाद धनराशि के भुगतान किये जाने पर .... **प्रतिशत** वार्षिक की दर से विलम्ब अवधि का दण्ड ब्याज और देय होगा।

2. न्यायालय के आदेश से भूमि प्रतिकर मे वृद्वि अथवा अन्य किसी कारणो से उक्त मूल्य मे परिवर्तन करना पडा तो तदानुसार आपको भुगतान करना होगा।

3. वांछित धनराशि बैक मे जमा करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे सूचित करना होगा।

4. अंश ''ग'' में अंकित धनराशि के जमा की रसीद परिषद के कार्यालय निर्माण खण्ड–21, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आम्रपाली योजना लखनऊ मे दिखा कर साइट प्लान प्राप्त किया जा सकता हैं।

5. संलग्न निर्देशो के अनुसार वांछित भुगतान/औपचारिकताएॅ कृपया **दि0** .... तक पूर्ण करे अन्यथा निर्धारित तिथि तक धनराशि/औपचारिकताएॅ(समस्त प्रपत्र) कार्यालय मे न जमा करने की दशा मे **रू0 50/–प्रतिदिन** की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

6. प्रदेशन पत्र निर्गमन की तिथि से तीन माह के अन्दर पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कराये जाने/करने पर सामान्य पंजीकरण धनराशि का **20 प्रतिशत** तथा तीन माह के उपरान्त सामान्य पंजीकरण धनराशि का **50 प्रतिशत** की कटौती कर ली जाएगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जाएगी।

7. अंश **'ख'** में वर्णित धनराशि की परिषद खाते में जमा होने की पुष्टि के अधीन ही यह प्रदेशन पत्र मान्य होगा।

8. सेवाकर से सम्बन्ध में शासन से स्थिति स्पष्ट होने एवं मुख्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त होन पर सेवाकर की धनराशि में परिवर्तन हो सकता है, जोकि नियमानुसार आपको जमा करना होगा।

संलग्नकः–औपचारिकता–पत्र।

सम्पत्ति प्रबन्धक

<u>आपचारिकता पत्र</u>

भवन सं0 .... हेतु वांछित भुगतान/औपचारिकताएं जो दिनांक .... तक अवश्य पूर्ण करनी होंगी अन्यथा धनराशि/ औपचारिकताएं पूर्ण न होने की दशा में रू0 50/– प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

निबन्धन कार्यालय में रजिस्ट्री के उपरान्त ही कब्जा पत्र जारी किया जायेगा।

1. पंजीकरण धनराशि की चालान की चतुर्थ प्रति मूल रूप में जमा करें।
2. रू0 10/– के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर आश्वासन पत्र एवं रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर मीटर बाण्ड टंकित कराकर प्रस्तुत करें।
3. राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर सहित प्रमाणित दो फोटो ग्राफ जिसपर प्रमाणित कर्ता अधिकारी के नाम व पते की मोहर स्पष्ट होनी चाहिए तथा दो नग अन्य नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
4. अधिशासी अभियन्ता नि0 खण्ड–21, वृन्दावन योजना, लखनऊ द्वारा निर्गत भवन के साइट प्लान की तीन प्रतियां।
5. आवंटित भवन के विक्रय विलेख निष्पादन हेतु **रू0** .... के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित विक्रय विलेख, दो छाया प्रति सहित प्रस्तुत करें। (विक्रय विलेख प्रारूप कार्यालय से प्राप्त करें)
6. महचान पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करें।

नोटः–भवन के निबन्धन के समय शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार स्टाम्प पेपर देय होंगें।

7. निम्नलिखित प्रारूप में रू0 10/– के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट/सब–जज/नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

शपथ पत्र का प्रारूप (नोटरी द्वारा प्रमाणित)

मै...पुत्र/पुत्री/पत्नी..उम्र.................................वर्ष निवासी ....निम्न शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ किः–

1. मेरे/मेरी/पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई भवन/भूखण्ड पूर्णतया अथवा अंशतः लखनऊ नगर में नही है और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नही है।
2. मेरे/मेरी/पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति नही है और न होगी।
3. मेरे/मेरी/पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में परिषद की स्वं वित्त पोषित योजना में केवल इसी एक भवन के प्रदशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
4. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वष .... की वार्षिक आय जिससे मेरी पति/पत्नी या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चे सम्मिलित है कुल रू0 .... से अधिक नही थी।

मै...घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 01 से 04 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है।

स्थानः– **शपथी**

दिनांकः–

कमांक 03 के लिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले फोटोग्राफ का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी........................... ....निवासी.. को भली–भॅति जानता हूॅ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा नीचे प्रमाणित किये जाते है।

1.

2.

(प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम व पते की मुहर)

सम्पत्ति प्रबन्धक